संबंधी आरोपों को बेबुनियाद, दुर्भावनापूर्ण और मानहानि का प्रयास बताया है। टू

पर होगा। वीसीसी ढांचे की खासियत यह है कि फंड मैनेजर निवेशकों की जरूरत

में जाने वाले फंड कारोबार को गिफ्ट सिटी की ओर आकर्षित कर सकता है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक

CHHATTISGARH GRAMIN BANK (Scheduled Bank Owned by Government)
क्षेत्रीय कार्यालय, डी.एस.एस. कॉम्प्लेक्स, मुंगेली नाका, बिलासपुर (छ.ग.)
Email : npa.ro.bil@cgb.bank.in I Mobile No. 6232032595 I Web : www.cgb.bank.in

अचल सम्पत्ति ई-नीलामी सूचना : "जहां है एवं जैसी है", "जो है जैसा है" एवं "जो कुछ भी है" की स्थिति में (ई-नीलामी तिथि 08/07/2026, बुधवार, समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक)

अधोहस्ताक्षरकर्ता **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 13 (2)** एवं **धारा 13(4)** प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न दर्शित ऋणी के स्वामित्व वाली सम्पत्ति जिसका अधिग्रहण **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** के द्वारा कर लिया गया है, ऋणी से देय राशि वसूली हेतु सम्पत्तियों की सार्वजनिक **ई-नीलामी दिनांक 08/07/2026** को **सुबह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक** है। ऋण ग्रहिताओं को विशिष्टतः और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्न वर्णित सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिये **छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी/जमानतदार एवं शाखा का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि / बकाया राशि / कब्जा/आधिपत्य तिथि / आधिपत्य का प्रकार	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि
ऋणी- मेसर्स धाना इंडस्ट्री, पार्टनर्स- (1) श्री आकाश कुमार अग्रवाल पिता मोहन लाल अग्रवाल. (2) श्रीमति ललिता श्रीवास पति विजय श्रीवास (3) श्रीमति स्मिती अग्रवाल पति आकाश कुमार अग्रवाल	**श्रीमति स्मिती अग्रवाल की बंधक सम्पत्ति का विवरण** :- व्यपवर्तित भूमि प.ह.न. 45, ख.नं. 887/2, मौजा- सकरी, आर. एन. एम. - सकरी, ब्लाक-तखतपुर, तहसील- सकरी, जिला-बिलासपुर छ.ग. क्षेत्रफल 21800 वर्गफीट । **चौहद्दी-:उत्तर-** शासकीय नाला, **दक्षिण-** रोड एवं स्मिती अग्रवाल की भूमि, **पूर्व-** रामाधार की भूमि , **पश्चिम-** हेमलता सोनी की भूमि ।	16.02.2026 ₹ 98,52,492.00 + ब्याज + अन्य व्यय 29.04.2026 सांकेतिक	₹ 1,65,60,000/- ₹ 16,56,000/- ₹ 10,000
(4) श्री अशोक कुमार यादव पिता सरजू यादव । शाखाः लिंगियाडीह, मोबाईल- 6232032528			

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि बकाया राशि, ब्याज एवं अन्य खर्चों का भुगतान ई-नीलामी तिथि के पूर्व कर देवें। बिक्री पश्चात अन्य कोई शेष बकाया राशि की वसूली का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है।

ई-नीलामी की शर्तें-

(1) ई-नीलामी **"जहां है जैसा है", "जो है जैसा है"** एवं **"जो कुछ भी है"** के आधार पर भार सहित (उगर कोई हो) की जावेगी। बैंक की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। भार के विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता से धरोहर राशि जमा करने के पूर्व सम्पर्क करें। ई-नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता की वेबसाइट **www.baanknet.com** के माध्यम से आन लाईन की जावेगी।

(2) आरक्षित मूल्य से कम की निविदा/आफर स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(3) संपत्ति निरीक्षण **दिनांक 08/06/2026 से 06/07/2026 तक सुबह 11.00 से सायं 4.00 बजे तक** संबंधित शाखा प्रबंधक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। (संपर्क हेतु:- **6232032528, 6232032595**)

(4) इच्छुक बोली लगाने वाले/ खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता **Baanknet** के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल **https://baanknet.com** में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वालेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा।

(5) सफल खरीददार के पक्ष में डिफ्रय की पुष्टि सिक्योर्ड क्रेडिटर की पुष्टि के अधीन होगी।

(6) इच्छुक निविदाकर्ता से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं को वेब पोर्टल **www.baanknet.com** में नाम पंजीकृत करवाए और लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।

(7) बिक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है तुरंत जमा करेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। निर्धारित समयावधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में बोलीकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जप्त कर ली जावेगी।

(8) सफल बोलीकर्ता को सभी वैधानिक,गैर सांविधिक बकायों, स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित सभी खर्च ,फीस, पंजीयन शुल्क, ट्रांसफर शुल्क एवं अन्य तात्कालिक खर्च, कर, प्रभार, शुल्क, इत्यादि स्वयं वहन करने होंगे।

(9) अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त संबंधित शाखा से सम्पर्क करें या ईमेल करें **eauction@ccsl.co.in** अथवा सर्विस प्रदाता **M/s PSB Alliance(baanknet), Contact No:: 8291220220, Help Line E-mail ID :- support.baanknet@psballiance.com, Website: https://baanknet.com** पर संपर्क करें एवं अंतिम मिनिट एवं सेकेण्ड में बिड करने से बचें।

(10) बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार, अस्वीकार या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

दिनांकः 06.06.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**

भारतीय स्टेट बैंक

SBI
फुटकर आस्ति लघु एवं मध्यम उद्यम शहरी ऋण केन्द्र एवं तनावग्रस्त आस्ति निवारण केन्द्र
द्वितीय तल, गैलेक्सी हाईट्स, व्यापार विहार, बिलासपुर (छ.ग.) - 495001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (1)] के तहत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठित तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (एक्ट 54 का 2002) के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- आर.ए.एस.ई.सी.सी.** एवं **सार्क, बिलासपुर** का प्राधिकृत अधिकारी है, प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण लेने वाले निम्नलिखित कर्जदार को निम्नलिखित तारीख को मांग सूचना तथा उसमें उल्लेखित निम्न रकम उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर प्रतिदाय करने की मांग करने के लिए जारी की थी। ऋण लेने वाले द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, ऋणी/बन्धककर्ता और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। ऋणी/जमानतकर्ता/बन्धककर्ता को विशेष रुप से सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों में कोई लेन-देन न करें और उसमें किसी प्रकार का लेन-देन **भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- आर.ए.एस.ई.सी.सी.** एवं **सार्क, बिलासपुर** को देय बकाया राशि एवं उस पर ब्याज आदि के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (यों) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है।

ऋणी का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
ऋणी- श्री डेविड कुमार घृतलहरे	**श्री डेविड कुमार घृतलहरे पुत्र श्री महेतरू राम घृतलहरे** के नाम पर मकान/प्लैट नं. मकान/प्लॉट नंबर 85, प.ह.नं. 47, खसरा नंबर 1175/22, वास्तु आनंद, मौजा- पेंड्रारी, ब्लॉक व तहसील- सकरी, जिला- बिलासपुर (छत्तीसगढ़) प्लॉट का क्षेत्रफल- 2100 वर्ग फीट में स्थित मकान/प्लैट के समस्त भाग व अंश। **चौहद्दी- उत्तर-** लेआउट प्लॉट नंबर 84, **दक्षिण-** लेआउट प्लॉट नंबर 86, **पूर्व-** लेआउट प्लॉट नंबर 60, **पश्चिम-** सड़क।	23/03/2026 कब्जा की तिथि 01/06/2026	₹ 19,43,328.00 + ब्याज व अन्य अतिरिक्त खर्च

दिनांक : 06.06.2026, स्थान : बिलासपुर (छ.ग.) **प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**

MUNICIPAL CORPORATION, RAIPUR

e-Procurement Tender Notice

Main Portal: http://eproc.cgstate.gov.in
(2nd Call)

NIT NO:92/ZONE 07/2026 **RAIPUR, DATED- 05.06.2026**

Online bids are invited for the following works up to **22.06.2026 at 17:30 hours.**

Sr. No.	System Tender No.	Name of work/Description of work	Probable amount of contract (In Lacs)
1	192631	अधोसंरचना मद अंतर्गत कर्बला तालाब चौबेकोलोनी रिटेनिंग वाल निर्माण। (शेष कार्य)	SOR-6290950 NON SOR-4751488 PAC - 11042438
2	192633	15 वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2022-23 हेतु प्राप्त राशि से स्वामी आत्मानंद सरोवर कर्बला तालाब में उद्यान विकास कार्य । (शेष कार्य)	SOR-2723940.50 NON SOR-857831.50 PAC-3581772

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh e-Procurement Portal **https://eproc.cgstate.gov.in** from **05.06.2026, 17.30 Hours (IST)** on wards.